राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड़ अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 31 / 2018
निर्णय दिनांक :– 15 / 07 / 2020

वादी :–
किशन पुत्र भैराजी उम्र–43 वर्ष जाति–भील निवासी–मोरचना, तहसील–राजसमन्द, जिला–राजसमन्द (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–
मृत दलिया पुत्र जीवाजी मेणा सादडी के उत्तराधिकारीव वारिसानः–
1. सकाराम पुत्र दलाराम उम्र–45 वर्ष
2. मांगीलाल पुत्र दलाराम उम्र–40 वर्ष
3. रूपी पुत्र दलाराम उम्र–43 वर्ष
4. सोनकी पत्नी तलसाराम उम्र–50 वर्ष
5. जोधाराम पुत्र तलसाराम उम्र–30 वर्ष
6. अमराराम पत्रु तलसाराम उम्र–28 वर्ष
7. मन्जू पुत्री तलसाराम उम्र–25 वर्ष
8. पुष्पा पुत्री तलसाराम उम्र–23 वर्ष
   जातिगण–मीणा, निवासीगण–जूणा तहसील– देसूरी, जिला–पाली (राज.)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–
1. श्री सुधीर कुमार श्रीमाली अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 की ओर से वकील नारायणसिंह भाटी।
3. तहसीलदार पैरोकार सरकार उपस्थित।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय (अन्तिम डिकी) **दिनांकः– 15.07.2020**

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:42 IST
Reason: SelfAttested

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्र[illegible] है [illegible] वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 89,89 53, 188 राजस्थान काश्[illegible] अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम [illegible] चक द्वितीय, तहसील–देसूरी (पाली) के खसरा नम्बर 6[illegible] रकबा 0.7700 हैक्ट[illegible] स्थित है।

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी मृत दलिया पुत्र जीवाजी, जाति–मेणा निवासी–सादडी की खातेदारी व कब्जाशुद थी। मृत दलिया उर्फ दलाराम ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी उसकी अकेले की एकमात्र खातेदारी व कब्जाशुद में से तीन बीघा कृषि भूमि यानि 0.4800 हैक्टर कृषि भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 22.05.2015 के बेचान कर कब्जा वादी को सुपुर्द किया था। वक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादन व पंजीयन के मृत दलाराम पुत्र प्रतिवादी संख्या एक सकाराम भी मौजूद था, जिसने बतौर साक्ष्य के गवाह डाली थी।

मृत दलाराम उर्फ दलिया द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 22.05.2015 का नामान्तरण करने हेतु रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की प्रति वादी ने पटवारी हल्का सादडी चक द्वितीय को प्रदत्त की, लेकिन तत्समय ग्रामीण राजस्व अभियान कैम्प चल रहा था। उसके बाद स्थानीय पटवारियों द्वारा अतिरिक्त चार्ज एवं अन्य मुद्दों के आधार पर हडताल की गई। जिस कारण उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का नामान्तरण दर्ज नहीं हो सका। उसके कुछ समय पश्चात् ही विक्रेता दलिया उर्फ दलाराम की आकस्मिक मृत्यु हो गई।

जिसके पश्चात विक्रेता दलाराम उर्फ दलिया के फौत हो जाने से उसके करीब दो माह बाद राजस्व रिकोर्ड में सम्पूर्ण भूमि का फौतेदगी नामान्तरण के जरिये उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का नाम नामान्तरण संख्या 1551 दिनांक 03.03.2016 के दर्ज हो गया। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 6233 कर रकबा 0.7700 हैक्टर है, जिसमें में से 0.4800 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण संख्या एक से आठ की खातेदारी व कब्जाशुद है। जिससे वादी अपनी उक्त खरीदशुदा खातेदारी व कब्जासूद कृषि भूमि का राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज करवाने के साथ साथ बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा भी करवाना चाहता है।

अतः वादग्रस्त आराजी कस्बा–सादडी चक द्वितीय के खसरा नम्बर 6233 रकबा 0.7700 हैक्टर में से 0.4800 हैक्टर भूमि वादी की पृथक खातेदारी व कब्जाशुद राजस्व रिकोर्ड में बहैसियत खातेदार के दर्ज की जावे। शेष भूमि प्रतिवादीगण की दर्ज की जावे। सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर वादी की खातेदारी व कब्जासूद 0.4800 हैक्टर यानि तीन बीघा भूमि का पृथक राजस्व रिकार्ड, पृथक कब्जा काश्त मौके पर किया जा[illegible] की खातेदारी व कब्जाशुद 0.4800 हैक्टर भूमि में वादी के उप[illegible] में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी, अवरोध, [illegible] हेतु प्रतिवादीगण को हमेशा–हमेशा हेतु [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस0डी0ओ0),देसूरी निर्णय राजस्व मूल प्रकरण संख्या–31/2018 धारा– 88, 89, 53,188 आर.टी.एक्ट– किशन बनाम सकाराम व अन्य ....

प्रकरण हाजा में दिनांक 15.10.2018 को न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय पारित किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशा की जारी की गई कि मौजा कस्बा–सादडी चक द्वितीय के खसरा नम्बर 6233 रकबा 0.7700 हैक्टर किस्म बा.दो में से 0.4800 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार एवं शेष भूमि 0.2900 हैक्टर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को खातेदार घोषित किया जाता है। अतःउपरोक्तानुसार धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है।प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार देसूरी को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि वादी की कब्जे काश्त खातेदारी भूमि की मौके पर सर्वे नपाई कर वादी की 0.48 हैक्टर रकबा, लगान, खसरा नम्बर पृथक दर्ज किया जावें।

तहसीलदारजी, देसूरी पत्राक/राजस्व/20/534 दिनांक 29.06.2020 के द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट मय नक्शा के प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। बंटवाडा प्रस्ताव के संबंध मे पक्षकारान की तरफ से कोई आपत्ति एतराज प्रस्तुत नही हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट का अवलोकन किया। माफीक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद अंतिम डिक्री योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा मौजा कस्बा–सादडी चक द्वितीय के खसरा नम्बर 6233 रकबा 0.7700 हैक्टर किस्म बा.दो में से 0.4800 हैक्टर भूमि का माफीक तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत बटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती हैः–

क्र. स	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	किस्म भूमि	लगान
1	किशन पुत्र भैराजी जाति–भील हिस्सा–पूर्ण	6233/1	0.4800	बा.दो	2.40
	कुल खसरे	1	0.4800	बा.दो	2.40

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:42 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

(एस.डी.ओ.) उपखण्ड कलेक्टर * देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस0डी0ओ0),देसूरी निर्णय राजस्व मूल प्रकरण संख्या–31/2018 धारा– 88, 89, 53,188 आर.टी.एक्ट– किशन बनाम सकाराम व अन्य ....

2.	1. सकाराम पुत्र दलाराम जाति–मीणा हिस्सा–1/4 सा.जूणा खातेदार 2. मांगीलाल पुत्र दलाराम जाति–मीणा हिस्सा–1/4 सा.जूणा खातेदार 3. रूपी पुत्री दलाराम जाति–मीणा हिस्सा–1/4 सा.जूणा खातेदार 4. सोनकी पत्नि तलसाराम जाति–मीणा हिस्सा 1/20 सा.जूणा खातेदार 5. जोधाराम पुत्र तलसाराम जाति–मीणा हिस्सा–1/20 सा.जूणा खातेदार 6. अमराराम पत्रु तलसाराम जाति–मीणा हिस्सा–1/20 सा.जूणा खातेदार 7. मन्जू पुत्री तलसाराम जाति–मीणा हिस्सा–1/20 सा.जूणा खातेदार 8. पुष्पा पुत्री तलसाराम जाति–मीणा हिस्सा–1/20 सा.जूणा खातेदार	6233	0.2900	बा.दो	1.45
कुल खसरे		01	0.2900	बा.दो	1.45

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शें में तरमीम किया जावें। वादी के बंट हिस्सा व कब्जे में जबरदस्ती करने से रोकने हेतु प्रतिवादी 1 से 8 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं डिक्री का भाग माना जावें। कुल लगान राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:42 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर (एस डी ओ) देसूरी (पाली)
सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ.) देसूरी (पाली)

2.40 रूपयें का ग्याहर गुणा के पांच प्रतिशत पर देय मुद्रांक के बतौर रूपयें 26.4/– के नोन ज्यूडिश्यल स्टाम्प वादी पेश करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय एवं अंतिम डिक्री पर्चा की एक प्रति तहसीलदार देसूरी को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर संख्या से कम हों।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 15.07.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इज्लास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:42 IST
Reason: SelfAttested

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर ए एस

वादी ब नाम	**प्रतिवादीगण**
किशन पुत्र भैराजी उम्र–43 वर्ष जाति–भील निवासी–मोरचना, तहसील–राजसमन्द, जिला–राजसमन्द (राज.)	मृत दलिया पुत्र जीवाजी मेणा सादडी के उत्तराधिकारीव वारिसानः– 1. सकाराम पुत्र दलाराम उम्र–45 वर्ष 2. मांगीलाल पुत्र दलाराम उम्र–40 वर्ष 3. रूपी पुत्र दलाराम उम्र–43 वर्ष 4. सोनकी पत्नी तलसाराम उम्र–50 वर्ष 5. जोधाराम पुत्र तलसाराम उम्र–30 वर्ष 6. अमराराम पत्रु तलसाराम उम्र–28 वर्ष 7. मन्जू पुत्री तलसाराम उम्र–25 वर्ष 8. पुष्पा पुत्री तलसाराम उम्र–23 वर्ष जातिगण–मीणा, निवासीगण–जूणा तहसील– देसूरी, जिला–पाली (राज.) 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी।

दावा बाबत 88, 89, 53, 188, **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

मुकदमा नम्बर :– **31/2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादी श्री सुधीर श्रीमाली मुदई श्री नारायणसिंह भाटी वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 08 मिनजाविब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त आराजी मौजा कस्बा–सादडी चक द्वितीय के खसरा नम्बर 6233 रकबा 0. 7700 हैक्टर किस्म बा.दो में से 0.4800 हैक्टर भूमि का माफीक तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत बटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अन्तिम डिकी निम्न प्रकार सादिर की जाती हैः–

क्र. स	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	किस्म भूमि	लगान
1	किशन पुत्र भैराजी जाति–भील हिस्सा–पूर्ण	6[illegible]	0.4800	बा.दो	2.40
	कुल खसरे	1	0.4800	बा.दो	2.40

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:42 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

2.	1. सकाराम पुत्र दलाराम जाति–मीणा हिस्सा–1/4 सा.जूणा खातेदार 2. मांगीलाल पुत्र दलाराम जाति–मीणा हिस्सा–1/4 सा.जूणा खातेदार 3. रूपी पुत्री दलाराम जाति–मीणा हिस्सा–1/4 सा.जूणा खातेदार 4. सोनकी पत्नि तलसाराम जाति–मीणा हिस्सा 1/20 सा.जूणा खातेदार 5. जोधाराम पुत्र तलसाराम जाति–मीणा हिस्सा–1/20 सा.जूणा खातेदार 6. अमराराम पत्रु तलसाराम जाति–मीणा हिस्सा–1/20 सा.जूणा खातेदार 7. मन्जू पुत्री तलसाराम जाति–मीणा हिस्सा–1/20 सा.जूणा खातेदार 8. पुष्पा पुत्री तलसाराम जाति–मीणा हिस्सा–1/20 सा.जूणा खातेदार	6233	0.2900	बा.दो	1.45
कुल खसरे		01	0.2900	बा.दो	1.45

उपरोक्तानुसार तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को डिक्री का भाग माना जावें। तदनुसार तहसीलदार देसूरी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शें में तरमीम करावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **15** माह **जूलाई** सन् **2020** को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:42 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)